न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)**
राजस्व आवेदन संख्या : **63 / 2019**

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. सदराम पुत्र दोलाराम, जाति विश्नोई, निवासी कुम्हारों की बेरी, कोजा तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।		1. साजन पुत्र दोलाराम 2. सुखराम पुत्र रायचन्द, जातियान विश्नोई, निवासी कुम्हारों की बेरी, कोजा, तहसील–धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर। 3. डुंगरसिंह पुत्र बुधसिंह 4. गेनसिंह पुत्र बुधसिंह 5. तगसिंह पुत्र बुधसिंह, जातियान राजपूत निवासी राणासर कलां, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर। 6. स्वरूपसिंह पुत्र मलसिंह जाति राजपूत, निवासी कुम्हारों की बेरी, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर। 7. निम्बा पुत्र हरजी 8. सोना पुत्र हरजी, जातियान विश्नोई, निवासी कुम्हारों की बेरी, हाल नेड़ीनाड़ी, धोरीमन्ना। 9. तहसीलदार, धोरीमन्ना।

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 11/06/19

अधिवक्ता :– श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 02/08/23

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 205/1 रकबा 28–13 बीघा खसरा नम्बर 215/01 रकबा 07–01 बीघा कुल रकबा 35–13 बीघा ग्राम कुम्हारों की बेरी पटवार हल्का कोजा तहसील धोरीमन्ना में आई है। जिसमें से खसरा नम्बर 205/01 में एक सरकारी कटाण रास्ता 0–04 बीघा रास्ते के लिए समर्पित की जा चुकी है जिसमें प्रार्थी का कब्जा आया हुआ है नकल जमाबंदी व नक्शा संलग्न पेश है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खसरों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के बीच में काश्त एवं ... के सेढ़ों के संबंध में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काश्त फसल के मौसम में ... उपरोक्त खातेदारी की भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ... सीमाज्ञान दिनांक 01.04.2019 को करवाया गया परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सही सीमाज्ञान नहीं हो सकी तथा हल्का पटवारी ने श्रीमानजी के समक्ष आवेदन पेश करने का सुझाव दिया जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण नेखमबंदी संबंधी मौके पर लेखस उपलब्ध करने एवं नेखमबंदी फीस अदा करने को तैयार है। विवादग्रस्त भूमि मौजा खरड़ तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमानजी के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अंतर्गत 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर कोर्ट न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– रुपए का साथ

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर) 02.08.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:42:20 IST
Reason: SelfAttested

है। अतः श्रीमानजी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा क्रमांक 642/1 रकबा 104–06 बीघा खसरा नम्बर 662/1 रकबा 56–15 बीघा सरहद मौजा खरड़ पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर की पक्की नेखमबंदी करवाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक से तलब किया गया, रजि. डाक से भेजे गए नोटिसों की डाक रसीदें अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई, अप्रार्थी सं. 01 ता 09 को भेजे गए नोटिस दो वर्ष दस माह से अधिक का समय होने के बावजूद हाजा न्यायालय में अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी, पत्रावली तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम कुम्हारों की बेरी, पटवार हल्का–कोजा, तहसील–धोरीमना के खसरा नंम्बर क्रमशः 215/1, 205/1 रकबा 1.1331, 4.6053 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। हमने पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार–धोरीमन्ना के आदेश की पालना में करवाए गए सीमाज्ञान की मौका फर्द की प्रतिलिपि दिनांक–01.04.2019 का अध्ययन किया, पटवारी हल्का द्वारा खसरा नंम्बर क्रमशः 215/1, 205/1 रकबा 1.1331, 4.6053 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम आराजी का सीमाज्ञान की कार्यवाही के दौरान पड़ौसी खातेदारान द्वारा वाद–विवाद करने पर सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सका, इस बात का उल्लेख किया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी को खसरा नंम्बर क्रमशः 215/1, 205/1 रकबा 1.1331, 4.6053 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम की सीमा तक स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत होगा।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रार्थी की खातेदारी आराजी राजस्व मौजा–कुम्हारों की बेरी, पटवार हल्का–कोजा, तहसील–धोरीमना, जिला बाड़मेर के खसरा नंम्बर क्रमशः 215/1, 205/1 रकबा 1.1331, 4.6053 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा नंम्बर क्रमशः 215/1, 205/1 रकबा 1.1331, 4.6053 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

02.08.23

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 18:42:20 IST
Reason: SelfAttested

(लाखाराम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 02/08/23 को सरे ईजलास सुनाया गया।

02.08.23

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर